न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा संख्या–212 आरटीए
प्रकरण संख्या 195/2018

1. सोहनसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जट सिख निवासी बजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

–प्रार्थी

बनाम

2. महेन्द्रसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जट सिख निवासी बजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

–अप्रार्थी

उपस्थित :–

1– श्री रामनिवास बेदी – वकील प्रार्थी
2–श्री राजेश बुडानिया– वकील अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 16.10.2019

प्रार्थी सोहनसिंह ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए इस आशय का पेश किया कि चक नं. 2 आईडीजी जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 12/15 के कुल खाता 1.265 है. में से 0.211 है. व इसी चक के खाता संख्या 13/13 के कुल खाता 3.480 है. में से 1.740 है. तथा इसी चक के खाता संख्या 54/52 के कुल खाता 6.452 है. में से 0.879 है. तथा इसी चक के खाता संख्या 69/68 के कुल सांझा खाता 0.873 है. में से 0.092 है.,इसी चक के खाता संख्या 75/72 के कुल सांझा खाता 4.986 है. में 0.240 है. कृषि भूमि मिन प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। उपरोक्त कुल भूमि की प्रमाणित फोटो प्रतियां जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कुल कृषि भूमि है जिसको लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों के विरचित प्रावधानों के अनुसार अच्छी में से अच्छी व मन्दी में से मन्दी भूमि को लेकर रास्ता खाला व काश्त की सुविधानुसार आज तक विभाजन नहीं हुआ है। हिस्सा मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थी काश्त करते आ रहे है,प्रार्थी के हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

चक नं. 2 आईडीजी जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 13/13 प.नं. 145/120 मु.नं. 2 कि.नं. 19/.253,20/.190,21/.253,22/.253, प.नं.146/121 मु.नं.6 कि.नं. 2/.228 है. 10/.126,प.नं. 145/121 मु.नं. 7 कि.नं. 1/.228,10/.253,11/.253,

चक नं. 2 आईडीजी जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 54/52 प.नं. 146/129 मु.नं. 37 कि.नं. 20/.253,प.नं. 145/129 मु.नं. 38 कि.नं. 15/.253,16/.253, प.नं. 145/130 मु.नं. 41 कि.नं. 13/.127,

चक नं. 2 आईडीजी जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 69/68 प.नं. 145/120 मु.नं. 2 कि.नं. 12/.152 है.

प्रार्थी के हिस्सा में आयी वादभूमि पर प्रार्थी ने शुरू से कड़ी मेहनत कर भारी रूपया खर्च कर समतल कर सिंचाई योग्य बनाया है। अब अप्रार्थी के मन में लालच आने के कारण प्रार्थी के हक व

हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की भूमि में से सांझा खाता होने का फायदा उठाते हुऐ अन्य अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमदा है जबकि प्रार्थी वाद भूमि का शुरू से खातेदार काश्तकार है व कब्जा काश्त में आयी वादपत्र की चरण संख्या 3 के मुताबिक प्रार्थी अपना खाता सहखातेदारों से अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादभूमि का आज खाता विभाजन नहीं होने के कारण सींव बट ,रकम राज ,आबियाना इत्यादि को लेकर बिना बजह विवाद रहता है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र दायर करने से एक सप्ताह पूर्व अप्रार्थी/सहखातेदारों से निवेदन किया कि वो वादभूमि का खाता वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार अलग –अलग कायम करवा लेवे तो वो पहले तो आजकल–आजकल करते रहे परन्तु कल अप्रार्थी ने धमकी दी,मै तो खाता विभाजन करवाये बिना ही वादभूमि का बेचान कर आपके कब्जा काश्त भूमि में जबरन नव निर्माण कर कब्जा करवाउंगा बस यही वादकारण है।

उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी को दिनांक 27.12.2018 को वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रहन एवं बेचान न करे एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे का जारी कर जरिये रजिस्टर्ड एडी से तलबी करवाये जाने के आदेश दिये गये। तलबी होने के उपरान्त दिनांक 25.1.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री राजेश बुडानिया एडवोकेट उपस्थित आया व अपना जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गई। जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित किया कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित वादी के नाम भूमि दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 3 अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का काफी समय पूर्व अच्छी मन्दी के अनुसार करीब 20 वर्ष पूर्व हो गया था। मुताबिक घरू विभाजन प्रार्थी व अप्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 3 में अपना कब्जा काश्त गलत बताया है। सही घरू विभाजन मुताबिक कब्जा काश्त प्रार्थी ने नहीं दर्शाया है। मुताबिक घरू विभाजन अप्रार्थी के कब्जाकाश्त की भूमि निम्न प्रकार हैः– चक नं. 2 आईडीजी के खाता संख्या 13/13,54/52,69/68 में प.नं. 145/120 मु.नं. 2 कि.नं. 12/.152,19/.253,20/.190,21–22/.253 है.प्रत्येक,प.नं. 145/121 मु.नं. 3 कि.नं. 21/.253, प.नं. 145/121 मु.नं. 7 कि.नं. 1/.228, 10–11/.253 है.प्रत्येक गै.मु.0.025 है., प.नं. 145/130 मु.नं. 41 कि.नं. 9,12/.253 है. प्रत्येक,13/.127,19/.253 कुल 2.999 है. कृषि भूमि।

प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 4 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी वादी ने अपने कब्जा काश्त की भूमि का विवरण सही नहीं दर्शाया है। बल्कि मुझ अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त पर अपना कब्जा दर्शाया है इसलिए प्रार्थी/वादी गलत कब्जा काशत वादपत्र में दर्शाकर अपना खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है।

प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 अस्वीकार है,प्रार्थी/वादी ने मुझ अप्रार्थी को कभी भी खाता अलग कायम करवाने हेतु निवेदन नहीं किया इसलिए प्रार्थी /वादी को कोई वादकरण हासिल नहीं है।

प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 6 अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि का कब्जा काश्त का कोई विवाद नहीं है। अब अप्रार्थी अन्यत्र बेच नहीं रहा है,इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने से अप्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

अतिरिक्त आपति एवं अतिरिक्त कथन

प्राथी ने अपने कब्जा काश्त में गलत भूमि दर्शायी है तथा मुझ अप्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि को दर्शाया है। प्रार्थी गलत कब्जा काश्त को दर्शाकर अपना खाता अलग से कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार नहीं है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है।

मुझ अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए वादपत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी ने चक नं. 2 आईडीजी के प.नं. 146/120 मु.नं. 3 कि.नं. 21 में डिग्गी निर्माण शुरू करवा रखा है,इसलिए प्रार्थी जानबूझकर अप्रार्थी की भूमि हड़पने हेतु शाश्वत व्यादेश पारित करवाना चाहता है। जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना–पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 7 व धारा 151 सीपीसी पेश की गई जिसकी प्रति अधिवक्ता अप्रार्थी को दी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 7 व 151 सीपीसी पेश न कर सीधी ही बहस समाहित की गई। बहस में कथन किया किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्य सत्यता से परे है और केवल मात्र हमारी डिग्गी के निर्माण को रोकने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है व पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए के प्रार्थना–पत्र का सही न्याय निर्णतय करने हेतु मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायालय मत से उचित प्रतित होता है। अतःप्रार्थी अधिवक्ता का प्रार्थना–पत्र स्वीकृत कर तहसीलदार संगरिया को कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट तहसीलदार संगरिया ने जरिये पत्रांक 609 दिनांक 26.8.2019 से भिजवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट वादगत आराजी में निर्माण की जारी डिग्गी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.12.2018 से पूर्व का निर्माण है, अस्थाई निषेधाज्ञा के बाद कोई निर्माण नहीं किया गया है। डिग्गी निर्माण अधूरा पड़ा है।

उभय पक्ष प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए पर बहस समाहित की गई ।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत आराजी विरास्तन भूमि है,सांझे खाते की है,अप्रार्थी जब तक भूमि का खाता विभाजन नहीं हो जाता तब तक डिग्गी निर्माण करने से निषेध रहे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा घरू बंटवारा का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है इसलिए दिनांक 27.12.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को तादावा फैसला कन्फर्म की जावे।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हमारा आपस में करीब 20 वर्ष पूर्व घराघरू बंटवारा हो गया था उसी अनुसार हमारा कब्जा काश्त है,जब हमारे द्वारा हमारे कब्जा काश्त की आराजी में डिग्गी का निर्माण शुरू किया तो प्रार्थी द्वारा उसमें रूकावट डालने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर हमारा डिग्गी निर्माण रूकवा दिया,अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के पश्चात किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया है,डिग्गी निर्माण के सम्बन्ध में तहसीलदार संगरिया से भी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। 20 वषों से कब्जा काश्त की भूमि में ही डिग्गी निर्माण किया गया जिससे प्रार्थी को कोई नुकसान नहीं होगा। डिग्गी निर्माण हम हमारे हक व हिस्से में आयी आराजी पर ही कर रहे है। अतः दिनांक 27.12. 2018 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावाली का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि न्यय सुस्थापित तीनो बिन्दु 1 प्रथम दृष्ट्या मामला 2 सुविधा का सन्तुलन 3 अपूर्णीयक्षति पर विचारण किया गया।

यह स्वीकार तथ्य है कि प्रश्नगत अराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खाते की आराजी है जो उन्हे विरासतन प्राप्त हुई है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा घरू बंटवारा के मताबिक विशिष्ट् आराजी प्राप्त होना अभिकथित किया परन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे घरू बंटवारा होना साबित हो। प्रार्थी एवं अप्रार्थी वादगत आराजी मे सहखातेदार है। यद्यपि एक सहखातेदार अन्य सहखातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता परन्तु जहां वादगत आराजी पैतृक सम्पति है और विवाद परिवार के सदस्यो के मध्य हो वहॉ प्रश्नगत आराजी की संरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। अन्यथा वाद बहुलता में वृद्वि होगी। प्रकरण में तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था जिन्होने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक 609

दिनांक 26.08.2019 प्रेषित की। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट में वादगत अराजी से संबंधित मौके पर पं.नं. 145/121 मु.न. 3 किला नं. 21/0.253 के दक्षिणी पूर्वी कॉर्नर पर डिग्गी की कच्ची खुदाई की गई है एवं डिग्गी की यह खुदाई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के पश्चात नहीं की गई है। इससे यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा डिग्गी निर्माण पहले से किया जा रहा था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.12.2018 ताफैसला दावा इस आशय की कन्फर्म की जाती है कि उभय पक्ष प्रश्नगत आराजी में विशिष्ट आराजी का बेचान/अन्तरण नहीं करेगें। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपने हक हिस्से तक की आराजी रहन रखने, बैय/अन्तरण करने हेतु स्वतन्त्र है।

फैसला आज दिनांक 16.10.2019 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 15:50:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: